संख्या 2486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय लखनऊ की उच्च शक्ति प्राप्त समिति की विभिन्न सिफारिशों की जांच कर ली गई है और उन पर एक अन्तिम निर्णय कर लिया गया है अथवा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में असाधारण विलम्ब के किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ग). इस सम्बन्ध में 29 जुलाई, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 1208 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) फिलहाल रेलों पर सुरक्षा और पुलिस की व्यवस्था के सम्बन्ध में उच्चाधिकार समिति की विभिन्न सिफारिशें विचाराधीन हैं।

दैनिक "आज" के सम्पादक के नाम पत्र

5014. **श्री मोलहू प्रसाद:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 'पूर्वोत्तर रेलवे और हिन्दी' शीर्षक के अन्तर्गत 21 नवम्बर, 1969 के दैनिक 'आज' में प्रकाशित सम्पादक के नाम पत्र की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पत्र में लिखी बातें ठीक हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पत्र में लिखी बातें आंशिक रूप से सही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के हिन्दी संगठन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

हरिजनों के लिए समुद्रपार छात्रवृत्तियां

5015. **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियों पर कितने हरिजन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये विदेशों को भेजा गया है;

(ख) क्या उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजे जाने वाले विद्यार्थियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये कोई निश्चित प्रतिशतता आरक्षित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा] : (क) 1966-67 में अनुसूचित जातियों के केवल एक छात्र को विदेश भेजा गया था। उसके बाद अनुसूचित जातियों के किसी भी छात्र को नहीं भेजा गया है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर पूर्णतया गुण को देखते हुए किया जाता है। अन्य बातें बराबर होने पर पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों को, अलबत्ता, कुछ वेटेज दिया जाता है।